

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
महानदी भवन  
मंत्रालय-नया रायपुर

क्रमांक 151 / 2013 / वित्त / ब-4 / चार,  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 26.04.2013

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
मंत्रालय, नया रायपुर ।

विषय:- छत्तीसगढ़ वित्त लेखे 2012-13 में सम्मिलित किए जाने हेतु  
जानकारी बाबत ।

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ-61(II)/2012-13/10 दिनांक 05.04.2013 संलग्नको सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया राज्य वित्त लेखे वर्ष 2012-13 हेतु चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में, पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को यथोचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(शहला निगार)  
संयुक्त सचिव  
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 152 / 2013 / वित्त / ब-4 / चार,  
प्रतिलिपि-

रायपुर, दिनांक 26.04.2013

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक रिपोर्ट(वित्त)/एफ-61(II)/2012-13/10 दिनांक 05.04.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

संलग्न:-निरंक

(प्रशांत लाल)  
शोध अधिकारी  
वित्त विभाग



सत्यमेव जयते

क्रमांक/रिपोर्ट (वित्त)/एफ-61(II)/2012-13/10

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग  
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL,  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT) CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक :

Date: 5-4-2013

प्रति,

अतिरिक्त मुख्य सचिव  
वाणिज्यिक कर विभाग  
छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,  
महानदी भवन,  
नया रायपुर-492002

जाचक क्रमांक  
ब-4/चा/वित्त/20  
दिनांक 200

विषय : छत्तीसगढ़ वित्त लेखे 2012-13 में सम्मिलित किए जाने हेतु जानकारियाँ बाबत।

प्रति,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त लेखे 2012-13 को तैयार किए जाने का कार्य आरंभ किया गया है। प्रत्येक वर्ष के राज्य वित्त लेखे में निम्नलिखित जानकारी संबंधित विभागों से प्राप्त कर सम्मिलित की जाती है।

- 1) राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि/कमी की जानकारी। (प्रपत्र-I)
- 2) राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में वृद्धि/कमी की जानकारी। (प्रपत्र-II)
- 3) पदार्थ/वस्तु के रूप में दिये गये सहायता अनुदान की जानकारी। (प्रपत्र-III)
- 4) राज्य शासन के प्रतिबद्धित दायित्वों की जानकारी। (प्रपत्र-IV)
- 5) ऑफ बजट दायित्वों की जानकारी। (प्रपत्र-V)
- 6) शासकीय लेखे से बाहय परिचलित राशियाँ। (प्रपत्र-VI)
- 7) कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की बकाया राशियाँ। (प्रपत्र-VII)
- 8) 31 मार्च की स्थिति में भुगतान हेतु बकाया देयको से संबंधित राशियाँ। (प्रपत्र-VIII)
- 9) पंचायती राज संस्थाओं को बकाया अनुदान की राशि। (प्रपत्र-IX)
- 10) दिनांक 31 मार्च की स्थिति में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में जमा राशियाँ। (प्रपत्र-X)

वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी सम्मिलित किया जाना है।  
पूंजीगत संपत्ति निर्माण करने हेतु दी गई सहायता अनुदान (Grant-in-Aid for creation of Capital Assets) (प्रपत्र-XI)

राज्य शासन के स्वीकृत पद तथा इनके विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। (प्रपत्र-XII)

क्रमांक 1255  
आ.स. / वि.स. तथा वा.कर / 2013

9-22-1

B(R)

आ.स. क्र. 663  
जा.स. क्र. 663  
11/13  
11/13

22 APR 2013

50 (b-4-d)  
12/13


उपरोक्त जानकारी तैयार किये जाने हेतु प्रपत्र क्रमांक I से XII तथा प्रपत्र क्रमांक IV एवं प्रपत्र V से X की जानकारी पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिकाएं संलग्न कर निवेदन है कि समस्त प्रपत्रों की जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 30.04.2013 तक अनिवार्यतः व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ताकि राज्य वित्त लेखे 2012-13 में विभाग द्वारा प्रेषित जानकारी सम्मिलित किया जा सके।

यदि उपरोक्त जानकारी तैयार करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई/असमंजस होने की स्थिति में संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी इस कार्यालय की श्रीमती स्निग्धा मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी से व्यक्तिगत संपर्क करने का कष्ट करें।

पूर्व के वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि कतिपय विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा उपरोक्त जानकारी सीधे इस कार्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। इस स्थिति में विभाग की समेकित जानकारी राज्य वित्त लेखे में परिलक्षित नहीं होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके विभाग से संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों को विभाग से संबंधित समेकित जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न—उक्तानुसार 12 प्रपत्र  
एवं मार्गदर्शिकाएं


भवदीय,  
  
5/4/13  
उपमहालेखाकार (लेखा)

पृष्ठां क्रमांक/रिपोर्ट (वित्त)/एफ-61(II)/2012-13/

दिनांक

प्रतिलिपि :

- 1) महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अधीक्षक, अवंती विहार, तेलीबांधा, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न प्रपत्र की जानकारी दिनांक 30.04.2013 तक अनिवार्यतः व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2) आयुक्त, आबकारी, छत्तीसगढ़ कालेज के पास, बैरन बाजार, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न प्रपत्र की जानकारी दिनांक 30.04.2013 तक अनिवार्यतः व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3) आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, सिविल लाइन्स, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न प्रपत्र की जानकारी दिनांक 30.04.2013 तक अनिवार्यतः व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
वरि. लेखा अधिकारी/रिपोर्ट (वित्त)

प्रपत्र - 1

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि/कमी की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	वर्ष 2011-12 का राजस्व प्राप्तियों	वर्ष 2012-13 का राजस्व प्राप्तियों	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि /कमी के समुचित कारण
1	2	3	4	5 (3-4)	6

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम  
कार्यालय का पता  
दूरभाष क्रमांक  
मोबाईल क्रमांक  
फैक्स न.

प्रपत्र-॥

विभाग-वाणिज्यिक कर विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी -	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2011-12 का राजस्व व्यय	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक अधीक्षक, छ. ग.	2030	6003	मुख्यालय की स्थापना				
		4612	स्टाम्पों की लागत				
		4611	स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय				
		2456	न्यायिकेत्तर स्टाम्प की लागत				
		2455	न्यायिकेत्तर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय				
		7428	छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण				
		7429	छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम के अंतर्गत लगाये गये स्टाम्प शुल्क का अंतरण				
		1480	जिला प्रभार				

प्रपत्र-11

विभाग-वाणिज्यिक कर विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी -	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	योजना का नाम	वर्ष 2011-12 का राजस्व व्यय	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
	2058	4613	स्टाम्पों के साथ प्रयोग में आने वाले सादे कागज का क्रय				
		4614	स्टाम्पों के साथ प्रयोग में आने वाले सादे कागज का क्रय				
आयुक्त, आबकारी	2039	122	अधीक्षण				
		1470	जिला कार्यपालिक स्थापना				
		6734	विभागीय रासायनिक प्रयोगशाला				
		1111	आबकारी सामग्री की खरीद				
		8629	नये सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर को प्रोत्साहन				
		4173	स्पिरिट की खरीद				
		4034	विभागीय मदिरा दुकानों को संचालन				
आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	2040	3569	मुख्यालय स्थापना व्यय				
		6810	वाणिज्यिक अधिकरण				

प्रपत्र-11

विभाग-वाणिज्यिक कर विभाग

बजट नियंत्रण अधिकारी -	मुख्य शीर्ष	योजना कमाक	योजना का नाम	वर्ष 2011-12 का राजस्व व्यय	वर्ष 2012-13 का राजस्व व्यय	वृद्धि/कमी की राशि	वृद्धि / कमी के समुचित कारण
		7419	मिशन मोड परियोजना				
		1509	जिला स्थापना				

**प्रपत्र-III**

पदार्थ/वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

ग्रांटी संस्थायें	लेखाशीर्ष (मुख्य शीर्ष से उप-विस्तृत शीर्ष तक) जिसमें वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान की राशी दर्ज की गयी है	वर्ष 2012-13 में वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान का कुल मूल्य
1. पंचायती राज संस्थायें		
(i) जिला पंचायत		
(ii) जनपद पंचायत		
(iii) ग्राम पंचायत		
2. शहरी स्थानीय निकाय		
(i) नगर निगम		
(ii) नगर पालिकाएं/नगर पालिका परिषद		
(iii) अन्य		
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		
(i) शासकीय कम्पनियाँ		
(ii) सांविधिक निगम		
4. स्वशासी निकायें		
(i) विश्वविद्यालय		
(ii) विकास प्राधिकारण		
(iii) सहकारी संस्थाएं		
(iv) अन्य		
5. अशासकीय संस्थाएं		
योग		

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम  
कार्यालय का पता  
दूरभाष क्रमांक  
मोबाईल क्रमांक  
फैक्स न.

टीप :- वस्तुओं के रूप में प्रदत्त सहायता अनुदान के अन्तर्गत निशुल्क सायकल प्रदाय योजना, निशुल्क पुस्तकें एवं गणवेश प्रदाय, लेप्टॉप/टेबलेट ईत्यादि से संबंधित व्यय की जानकारी देवे। इसके अतिरिक्त केन्द्र शासन से प्राप्त सामग्री/पदार्थ जैसे-दवाईयों इत्यादि जो विभाग द्वारा वितरित किया गया है को भी सम्मिलित किया जावे।



प्रपत्र IV

Statement on Committed Liabilities of the State in future  
(As on 31-03-2013)  
(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(figures in actual)

Sl. No.	Nature of Liability	Amount (₹ in Lakh)		Likely Sources from which proposed to be met			Likely year of the discharge	Liabilities discharge during the year	Balance remaining
		Plan	Non Plan	States Own Resources	Central Transfers	Raising Debt (Specify)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Accounts Payable(*)</b>								
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Total</b>								
<b>II</b>	<b>State's Share in Centrally Sponsored Scheme</b>								
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Total</b>								
<b>III</b>	<b>Liabilities in the form of transfer of Plan Schemes to Non-Plan Heads</b>								
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Total</b>								
<b>IV</b>	<b>Liabilities arising from Incomplete Projects</b>								
1.									
2.									
3.									
4.									
	<b>Total</b>								
<b>V</b>	<b>Others/Miscellaneous</b>								
1.									
2.									
3.									
4.									
<b>Grand Total</b>									

\* Accounts payable includes the committed liabilities in the form of non plan salary expenditure, pension, interest payments, accrued debt, bills pending for payments etc.

Name of Budget controlling office  
Office Address  
Fax No.  
Mo. No.  
Ph.no.

प्रपत्र - V

Detail of Off Budget Liabilities as on 31-03-2013

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में ऑफ बजट दायित्वों की जानकारी  
(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(वास्तविक राशि में)

Nature of Off Budget Liabilities, if any ऑफ बजट दायित्वों की प्रकृति, यदि कोई हो	Amount of Liability as on 31-03-2013 दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में दायित्वों की राशि	Year Wise Break up of amount राशि का वर्षवार विवरण	Remarks (if any) अन्युक्ति (यदि कोई हो)

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर  
Signature and Seal of Department concerned  
Phone No./Fax No.  
Official Address

प्रपत्र - VI

Details of Funds operated outside Government Accounts  
(कृपया सलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

Figures in actual

Name of the Department	Name of the Regulatory authority/agency/bodies	Amount not credited to Government account as on 31-03-2013.

Signature of Head of Department  
Phone No. and Fax No.  
Official Address



प्रपत्र VII-ii

ARREARS OF NON TAX REVENUE AS ON 31-03-2013

दिनांक 31.03.2013 को वसूली हेतु बकाया करेत्तर राजस्व

(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(वास्तविक राशि में)

Major Head and Description मुख्यशीर्ष एवं विवरण	0-1 year 0 से 1 वर्ष	1-2 year 1 से 2 वर्ष	2-3 year 2 से 3 वर्ष	3-5 year 3 से 5 वर्ष	Above 5 years 5 वर्ष के उपर	Total योग	Remarks (if any) अभ्युक्ति

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

Signature of Head of Department

Phone No. and Fax No.

Official Address

प्रपत्र - VIII

**Liability on Account of Unpaid Bills as on 31-03-2013**

दिनांक 31.03.2013 को भुगतान हेतु लम्बित देयको की जानकारी  
(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(वास्तविक राशि में)

Name of the Department	Amount of bill received up to 31-03-2013 but not paid दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त लेकिन भुगतान नहीं किये गये देयको की राशि	Reasons for non - payment भुगतान नहीं किये जाने के कारण	Major Head in which the amount of unpaid bill is to be debited during 2013-14 लम्बित देयको को वर्ष 2012-13 के दौरान डेबिट किये जाने वाले मुख्यशीर्ष की जानकारी	Remarks if any अभ्युक्ति

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर  
Signature of Head of Department  
Phone No. and Fax No.  
Official Address

**Arrears of Grants to Panchayati Raj Institutions as on 31-03-2013**

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के बकाया की जानकारी  
(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(₹ वास्तविक राशि )

Name of Zilla Panchayat जिला पंचायत का नाम	Name of the Scheme योजना का नाम	Amount of Arrears of Grants payable to Zilla Panchayat upto 31-03-2013 दिनांक 31.03.2013 तक जिला पंचायत को देय अनुदान की बकाया राशि	Yearwise Breakup of arrears of Grants to Panchayati Raj Institutions अनुदान की बकाया राशि की जानकारी	Remarks (if any) अभ्युक्ति (यदि कोई हो)

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर  
Signature of Head of Department  
Phone No. and Fax No.  
Official Address

प्रपत्र - X.

31.03.2013 को बैंक खाते में जमा शासकीय राशि  
(कृपया संलग्न मार्गदर्शिका का अवलोकन करें)

(₹ वास्तविक राशि )

विभाग का नाम तथा बजट नियंत्रण अधिकारी का पदनाम	31.03.2012 की स्थिति में बैंक खाते में जमा कुल शासकीय राशि (* )	वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त निर्देश-41/2012. दिनांक 12.06.2012 के अनुपालन में राजस्व शीर्ष में जमा की गई राशि		वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त निर्देश-41/2012. दिनांक 12.06.2012 के अनुपालन में 8443 k- Deposit शीर्ष में जमा की गई राशि		31.03.2013 की स्थिति में बैंक खाते में जमा कुल शासकीय राशि
		मुख्य शीर्ष	राशि	राशि	वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर 8443 से विभाग द्वारा आहरित राशि	

(\* ) The amount kept in the bank account of DDO, Other Government Officers(Principal, Headmaster etc wherever applicable) as on 31-03-2013 may be compiled and certified by Budget controlling officer and the total amount may be shown in this column.

Signature of Head of Department  
Phone No. and Fax No.  
Official Address



**प्रपत्र—XI**

पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान की जानकारी

(वास्तविक राशि में)

संस्था / निकाय / निगम / बोर्ड / अन्य का नाम जिसे सम्पत्ति निर्माण हेतु विभाग द्वारा सहायता अनुदान दिया गया है	वर्ष 2012-13 में पूजीगत संपत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान से संबंधित व्यय		व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र की जानकारी	यदि केन्द्र शासन से पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु राशी प्राप्त हो तो इस कॉलम में दर्शाये
	लेखाशीर्ष (मुख्यशीर्ष से विस्तृत शीर्ष तक)	वर्ष में व्यय राशी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1. पंचायती राज संस्थायें</b>				
(i) जिला पंचायत				
(ii) जनपद पंचायत				
(iii) ग्राम पंचायत				
<b>2. शहरी स्थानीय निकाय</b>				
(i) नगर निगम				
(ii) नगर पालिकाएं				
(iii) नगर पंचायत				
<b>3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>				
(i) शासकीय कम्पनियों				
(ii) सांविधिक निगम				
<b>4. स्वशासी निकायें</b>				
(i) विश्वविद्यालय				
(ii) विकास प्राधिकारण				
(iii) सहकारी संस्थाएं				
(iv) अन्य				
<b>5. अशासकीय संस्थाएं योग</b>				

बजट नियंत्रण अधिकारी का नाम  
कार्यालय का पता  
दूरभाष क्रमांक  
मोबाईल क्रमांक  
फैक्स

- टीप :- 1. बोर्ड, महाविद्यालय, मिशन इत्यादि को पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु दिये गये सहायता अनुदान सरल क्रमांक 4 (iv) के समक्ष दर्शाये।
2. यदि पूजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु प्रदत्त राशि केन्द्र शासन से प्राप्त हुई है तो केन्द्र शासन से प्राप्त राशि की जानकारी स्तम्भ क्रमांक 5 में दर्शाये।

**प्रपत्र-XII**  
**नियमित कर्मचारियों की संख्या से संबंधित जानकारी**  
**(दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में)**

पदनाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी की संख्या
(1)	(2)	(3)

- टीप :- 1) दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या स्तम्ब क्रमांक 03 में दर्शायी जावे। यदि दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में जिस दिनांक की स्थिति में जानकारी उपलब्ध हो, वह दिनांक दर्शाते हुए जानकारी देवें।
- 2) केवल वेतन मद (01-वेतन भत्ते आदि) से आहरित कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी सम्मिलित करें।

प्रपत्र-V से X की जानकारी पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका

**प्रपत्र-V- आफ बजट दायित्वो (Details of off budget liabilities)**- इस category में राज्य शासन के ऐसे सव्यवहार को सम्मिलित किया जाना है जहाँ शासन द्वारा कार्पोरेशन/कम्पनियों को किसी राशि का भुगतान किया जाना था किन्तु तत्समय विपरीत वित्तीय परिस्थितिवंश भुगतान नहीं किया गया है, एवं इसके ऐवज में राज्य शासन द्वारा उन कार्पोरेशन/निगमों को दीर्घ कालीन प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (Bonds) जारी किया गया है एवं राज्य शासन द्वारा बंध पत्र की निर्धारित अवधि के पश्चात भुगतान किया जाता है। - उदाहरण- राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं बिजली बोर्ड को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत subsidy प्रदान की जाती है। यदि राज्य शासन द्वारा नगद में Subsidy प्रदान न किया जा कर राज्य सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं बिजली बोर्ड को दीर्घ कालीन प्रतिकार एवं अन्य बंध पत्र (Bonds) जारी किये जाते है तो ऐसे सव्यवहारों को off budget liabilities के रूप में दर्शाना जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न तेल कम्पनियों एवं उर्वरक कम्पनियों को देय सबसिडी के रूप में जारी किये गये बान्ड off budget liabilities के अन्तर्गत आता है।

**प्रपत्र-VI- Funds operated outside Government Accounts** - इस जानकारी में राज्य शासन के अन्तर्गत कार्यरत नियामक आयोग/अभिकरण/संस्थाएं द्वारा प्राप्त किये गये राजस्व (जैसे फीस, जुर्माना आदि) जो उनके गठन संबंधी अधिसूचना/अध्यादेश अनुसार राज्य सरकार के खाते में जमा कराये जाने थे किन्तु जमा नहीं कराये गये है ऐसी जानकारी सम्मिलित किया जाना है।

**प्रपत्र-VII- कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व की बकाया राशि (Arrears of tax and non tax revenue)**-इस जानकारी के अंतर्गत कर एवं राजस्व की बकाया राशि (विवादित एवं अविवादित) का विवरण सम्मिलित किया जाना है।

**प्रपत्र-VIII- 31 मार्च 2013 की स्थिति में भुगतान हेतु बकाया बिलों से संबंधित दायित्व (Liability on account of Unpaid bills)**-इस जानकारी के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों द्वारा 31.03.2013 की स्थिति में निर्माण कार्य एवं प्रदाय सामग्री देयको का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न दायित्व की जानकारी सम्मिलित की जानी है।

**प्रपत्र-IX- पंचायती राज संस्थाओं को देय बकाया अनुदान**-इस जानकारी के अंतर्गत पंचायती राज सस्थाओं को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत देय अनुदान की बकाया राशि सम्मिलित की जानी है। वर्ष के अन्त में यदि पर्याप्त बजट के अभाव में किसी चालू वर्ष में किये जाने वाले व्यय को आगामी वर्ष के बजट से भुगतान किया जाता है तो ऐसी बकाया राशियों को भी सम्मिलित किया जावे। उदाहरणार्थ प्रत्येक वर्ष में केन्द्र प्रवर्तित योजना में राज्य शासन का हिस्सा जिला पंचायतों को भुगतान किया जाता है। यदि राज्य शासन के हिस्सा का भुगतान पर्याप्त बजट के अभाव में उसी वित्तीय लेखा वर्ष में न किया जाकर आगामी वर्ष के बजट से भुगतान किया जाता है तो ऐसी राशियों को पंचायती राज सस्थाओं को देय बकाया अनुदान के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन को प्राप्त खनिज रायल्टी एवं भूमि पंजीकरण राशि से पंचायतो को देय अनुदान की दिनांक 31.03.2013 तक की बकाया राशि भी शामिल होगी।

प्रपत्र-X- दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में आहरण संवितरण अधिकारियों के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में जमा राशि-इस प्रारूप की जानकारी में 31.3.2013 की स्थिति में विभाग से संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारियों एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा किसी राज्य आयोजना/केन्द्र प्रवर्तित योजना/केन्द्र क्षेत्रीय योजना इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु कोषालय से धन आहरित कर अपने पदनाम से खोले गये खातों में जमा की गयी राशि की जानकारी सम्मिलित किया जाना है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषालय से धन आहरण पश्चात् संबंधितों को भुगतान किये जाने हेतु किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी (प्रिंसिपल/हेडमास्टर इत्यादि) के खातों में राशि जमा कराई जाती है तो उन कर्मचारी/अधिकारी के पदनाम से खोले गये बैंक खातों में 31.3.2013 की स्थिति में जमा की राशि की जानकारी भी सम्मिलित किया जावे।

इस में राज्य की संचित निधि से आहरित धनराशि सम्मिलित किया जावे तथा किसी बोर्ड अथवा अन्य क्रियान्वयन एजन्सी से प्राप्त राशि को सम्मिलित नहीं किया जावे।

जानकारी विभागवार संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी/विभागीय अधिकारी से प्राप्त कर वांछित जानकारी सत्यापित कर समेकित जानकारी इस कार्यालय को भेजने की व्यवस्था करें। कृपया डी.डी.ओ. वार पृथक पृथक प्रारूप/जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित नही करे

प्रपत्र क्रमांक-IV की जानकारी पूर्ण करने हेतु मार्गदर्शिका एवं  
नमूना प्रपत्र

## I Accounts Payable

### स्तम्भ क्रमांक-2

स्तम्भ क्रमांक 2 में निम्नलिखित दायित्व दर्शायी जावे।

- (1) आयोजनेत्तर वेतन
- (2) ब्याज का भुगतान (6003-आंतरिक ऋण) (वित्त विभाग से संबंधित)
- (3) Accrued Debt (वित्त विभाग से संबंधित)
- (4) भुगतान हेतु बकाया बिल

### स्तम्भ क्रमांक 3 (प्लान)

इस स्तम्भ में जानकारी निरंक दर्शाये जावे।

### स्तम्भ क्रमांक 4 (आयोजनेत्तर)

- 1) आयोजनेत्तर वेतन :- वर्ष 2012-13 के वास्तविक आयोजनेत्तर वेतन व्यय तथा वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के अनुमानित आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।
- 2) ब्याज के भुगतान :- वर्ष 2012-13 में आन्तरिक ऋणों से संबंधित ऋणों पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज की राशि तथा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 पर किये जाने वाले ब्याज भुगतान की व्यय की राशि वर्ष वार दर्शाये जावे।
- 3) भुगतान हेतु बकाया बिलों की जानकारी :- इस मद हेतु दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में आयोजनेत्तर मद से भुगतान हेतु बकाया बिलों की राशि दर्शाए।
- 4) **Accrued Debt :-** Accrued Debt से आशय ऐसे ऋणों से है जिसका पुनर्भुगतान किया जा रहा है किन्तु ऋण की राशि राज्य सरकार-को प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति में मुख्यशीर्ष 6003 के अन्तर्गत यदि ऐसा कोई ऋण है तो स्तम्भ क्रमांक 4 में दर्शाए।

### स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :

स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित प्रतिबद्धित दायित्व की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी स्तम्भ क्रमांक 5,6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

### स्तम्भ क्रमांक 8 :

- 1) कालम नम्बर 4 में दर्शाए गए आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व तथा ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु 2013-14 से 2015-16 दर्शावे, भुगतान हेतु बकाया बिलों के दायित्व हेतु 2013-14 दर्शावे, Accrued Debt के दायित्व हेतु ऋणों के पुनर्भुगतान का अंतिम वर्ष दर्शाया जावे।

### स्तम्भ क्रमांक 9 :

- 1) आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व हेतु वर्ष 2012-13 में भुगतान किये गये आयोजनेत्तर वेतन व्यय की राशि दर्शायी जावे।
- 2) भुगतान हेतु बकाया बिलों के दायित्व हेतु निरंक दर्शायी जावे।
- 3) ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु वर्ष 2012-13 में भुगतान किये गये आंतरिक ऋण पर ब्याज की राशि दर्शायी वर्ष वार जावे।
- 4) Accrued Debt के दायित्व हेतु वर्ष 2012-13 में भुगतान किये गये पुनर्भुगतान की राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।

- 1) आयोजनेत्तर वेतन के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।
- 2) भुगतान हेतु बकाया बिलो के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि ही दर्शाये जावे।
- 3) ब्याज के भुगतान के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि वर्ष वार दर्शायी जावे।
- 4) Accrued Debt के दायित्व हेतु कालम नम्बर 4 में दर्शायी गयी राशि से कालम नम्बर 9 में दर्शायी गयी राशि को घटाकर निवल राशि दर्शायी जावे।

## II केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश की जानकारी

### स्तम्भ क्रमांक 2 :

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति में ऐसी केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जिसमें राज्यांश विमुक्त किया जाना था किन्तु विमुक्त न किया गया हो ऐसे योजनाओं का नाम दर्शाया जावे।

### स्तम्भ क्रमांक 3 :

स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शायी गयी योजनाओं में दिनांक 31.03.2013 को विमुक्ती हेतु बकाया राज्यांश की राशि दर्शावे।

### स्तम्भ क्रमांक 4 :

स्तम्भ क्रमांक 4 में निरंक दर्शाये जावे।

### स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :

स्तम्भ नम्बर 3 में दर्शाये गये राज्यांश की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5,6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

### स्तम्भ क्रमांक 8 :

स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शायी गयी राशि का भुगतान किस वर्ष में किया जावेगा उस वर्ष की जानकारी दर्शायी जावे।

### स्तम्भ क्रमांक 9 :

स्तम्भ क्रमांक 9 में निरंक दर्शायी जावे।

### स्तम्भ क्रमांक 10 :

स्तम्भ क्रमांक 10 में स्तम्भ क्रमांक 3 की राशि दर्शायी जावे।

## III

### आयोजना मद से आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरित योजना के उत्तरदायित्व

सामान्यतः पंचवर्षीय योजना काल के पूर्ण होने पर केन्द्र क्षेत्रीय योजना, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना इत्यादि को आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरण किये जाने के फलस्वरूप संबंधित योजनाओं के संचालन का दायित्वों राज्य शासन पर उत्पन्न होता है। यदि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012-13 में कोई योजना को आयोजना मद से आयोजनेत्तर मद में स्थानान्तरित किया गया है, तो उन योजनाओं की जानकारी इस वर्ष में उपलब्ध कराई जावे।

### 11 वी पंचवर्षीय योजना से उत्पन्न समर्पित आयोजनेत्तर व्यय

योजना आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में व्यय के वर्गीकरण से संबंधित निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रकृति के व्ययों को प्रतिबद्ध आयोजनेत्तर व्यय (Committed Non Plan Expenditure) माना जाना चाहिए :-

- 1) समस्त विकास योजनाएं जो दिनांक 31.03.2013 तक पूर्ण हुए हैं उनके संचालन एवं अनुरक्षण व्यय को आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।

- 2) यदि कोई विकास योजना 11 वीं पंचवर्षीय योजना के काल में पूर्ण नहीं होती है एवं उस योजना को 12 वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा जाता है एवं इस योजना से यदि कोई आस्तियों निर्मित किये जाते हैं अथवा कोई सेवाएं स्थापित किये जाते हैं तो उन आस्तियों एवं सेवाओं के परिचालन एवं अनुरक्षण पर किये जाने वाले व्यय को 12 वीं योजना काल में प्रतिबद्ध आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।
- 3) यदि कोई कार्यक्रम/योजना/गतिविधि चरणबद्ध रूप में क्रियान्वयन किया जाता है तो पूर्ण हुए चरण में कार्यरत मैदानी अमला (Field Staff) तथा मुख्यालय अमला के व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।
- 4) समस्त विद्यमान संस्थाएं एवं स्थापनाओं के अनुरक्षण संबंधी व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए।
- 5) स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति इत्यादि क्षेत्र में ऐसी योजनाएं जो आवर्ति प्रकृति की हैं उन योजनाओं में दिनांक 31.03.2012 की स्थिति में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व्यय को समर्पित आयोजनेत्तर व्यय माना जाना चाहिए। उपरोक्त प्रकृति के दायित्वो वर्ष 2012-13 में उत्पन्न होना संभावित है तदपि वर्ष 2012-13 में उपरोक्त प्रकृति के दायित्वो हेतु खोली गई आयोजनेत्तर योजनाएं एवं वर्ष 2012-13 में आयोजना मद से आयोजनेत्तर में स्थानांतरित योजना से उत्पन्न व्यय दायित्व का योजनावार जानकारी इस वर्ग के अन्तर्गत दर्शाए। संबंधित योजना का नाम स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शाए, स्तम्भ क्रमांक 3 में निरंक दर्शाए, कालम नम्बर 4 में इस योजना के वर्ष 2012-13 के वास्तविक व्यय तथा आगामी तीन वर्षों में (अर्थात् 2013-14, 2014-15, 2015-16) में किए जाने वाले अनुमानित व्यय को वर्षवार दर्शाए। कालम क्रमांक 5, 6 एवं 7 में संबंधित व्यय स्रोत की जानकारी देवे। कालम क्रमांक 8 में वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 दर्शावे। कालम क्रमांक 9 में 2012-13 का वास्तविक व्यय दर्शाए। कालम क्रमांक 10 में कालम 4 एवं कालम 9 के अंतर की राशि दर्शावे।

#### IV अपूर्ण परियोजनाओं में उत्पन्न दायित्व की राशि :

**स्तम्भ क्रमांक 2 :**

दिनांक 31.03.2013 को अपूर्ण परियोजनाओं के नाम दर्शाया जावे।

**स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 :**

स्तम्भ क्रमांक 2 में दर्शायी गयी परियोजनाओं पर परियोजनाओं की समाप्ति तक किये जाने वाले प्रतिबद्ध व्यय की राशि दर्शायी जावे।

**स्तम्भ क्रमांक 5, 6 एवं 7 :**

कालम नम्बर 3 एवं 4 में वर्णित अपूर्ण परियोजनाओं की राशि का भुगतान के स्रोत की जानकारी कालम नम्बर 5, 6 एवं 7 में तदनुसार दर्शायी जावे।

**स्तम्भ क्रमांक 8 :**

परियोजना के पूर्ण होने तक के संभावित व्यय किन वर्षों तक किया जावेगा दर्शाये।

**स्तम्भ क्रमांक 9 :**

स्तम्भ क्रमांक 9 में निरंक दर्शाये जावे।

**स्तम्भ क्रमांक 10 :**

स्तम्भ क्रमांक 10 में स्तम्भ क्रमांक 3 एवं 4 में दर्शायी गयी राशि दर्शायी जावे।





